सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री हरपाल सिंह, 3/6 कैनाल कालोनी, हैवलक रोड, लखनऊ को सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

क्र0	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन के विशिष्टयों, कृत्य और कर्तव्य	उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जनपदीय स्तर पर कार्यालय नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा संचालित है। जनपदीय कार्याध्यक्ष की विशिष्टियॉ कृत्य एवं कर्त्तव्य के अन्तर्गत विभागीय विनियमों को निमित्त जिला स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों को नलकूपों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव करना एवं कृषकों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य।	जनपद में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का संग्रह विभाग में उपलब्ध है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	प्रत्येक नलकूप में इस वर्ष से रू0 20,000=00 अनुरक्षण मद का प्राविधान है जिससे राजकीय नलकूपों पर सिविल व क्यू कार्य एवं मोटर वर्निंग आदि के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 354 राजकीय नलकूप चलित अवस्था में हैं जिससे कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अल्प साख सीमा से नलकूपों का रख–रखाव करके मैदानी तथा चम्बल क्षेत्र में कृषकों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड।	जनपद स्तरीय विभागीय कार्यक्रमों की शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु वार्षिकलक्ष्यों को त्रैमासिक फाटकर उन्हें समय से पूर्व किया जाता है, ताकि वर्ष के अन्त में कोई भी लक्ष्य पूर्ति प्रभावित न हो।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	कार्यालय के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु शासन स्तर से समय–समय पर प्राप्त शासनादेशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में निहित राज्ञाओं द्वारा आवश्यक अंकुश लगाया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्राधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	नलकूप चालकों को आवपासी इन्द्राज कराने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टयॉ जो उसकी नीति के सरंचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	कोई नहीं।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहॅुच होगी।	कोई नहीं।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	उपलब्ध है।

<table>
<tr><td>10</td><td>अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।</td><td colspan="2">उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>अधिशाषी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अवर अभियन्ता
सैक्शन मिस्त्री
जिलेदार
सींच पर्यवेक्षक
हैडमुन्शी
मुन्शी
आशुलिपिक
वरिष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक
प्रारूपकार
वाहन चालक
नलकूप चालक
अंश0 नलकूप चालक
सहायक सर्वेयर
मेट/चपरासी/धावक/ वर्कन्दाज/क्लीनर/ चौकीदारी/बेलदार/वाटर मैन/हैल्पर/ मैके0ग्रेड–3 /कम्प्रे0चालक</td><td>मण्डल कार्यालय के विरूद्ध वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
15600–39100
9300–34800
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
5200–20200
4440–7440</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।</td><td colspan="2">अनुदान सं0: 95 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष गाड़ियों का अनुरक्षण आदि मदों में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में तैनात वित नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है। जनपद में विभागीय कार्यक्रमों को जिला स्तर पर स्वीकृति जिला योजना एवं विभागीय मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा की योजना संचालित है वर्ष 2009–10 में इस अभिकरण के लिए निम्नवत् व्ययों का प्रस्ताव रखा गया।
<table><tr><td>क्र0</td><td>मद</td><td>प्रस्तावितपरिव्यय (लाख रू0 में)</td><td>अवमुक्त धनराशि</td><td>अन्य</td></tr><tr><td>1</td><td>रा0नलकूप</td><td>70.80</td><td>60.18</td><td>–</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12</td><td>सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की नीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के फायदा ग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।</td><td colspan="2"><u>(अ) जनपद योजना–</u>
जनपद स्तर से राजकीय नलकूपों की जीर्ण–शीर्ण गूल व पाइप लाइन आदि हेतु धन उपलब्ध होता है तथा नलकूपों हेतु यॉत्रिक उपकरण भी क्रय किये जाते है।
<u>(ब) चौ0चरण सिंह 3000 परियोजना–</u>
इस योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाता है, तत्पश्चात् कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2009–10 हेतु 24 नवीन राजकीय नलकूपों की स्थापना की जानी है।</td></tr>
</table>

13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ।	शून्य।
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	खण्ड में कम्प्यूटर उपलब्ध है। फैक्स नही, इण्टरनेट अभी चालू स्थिति में नही है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।	कोई नहीं।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत जनपद इटावा सिंचाई विभाग हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा के अधीनस्थ नामित जो निम्नवत् है। (1) श्री अहिबरन सिंह सहायक अभियन्ता तृतीय, अपीलीय अधिकारी नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा। मो0नं0– 9411939725 (2) श्री सजीवन लाल सहायक अभियन्ता द्वितीय, जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा। मो0नं0 9415126432 (3) श्री राम प्रकाश अवर अभियन्ता, (केन्द्रीय कार्यशाला) सहायक जनसूचना अधिकारी, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा। मो0नं0– 9410437452

अधिशाषी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा।